न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 30/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. नारायण सिंह } पुत्रगण बटोई जाति जाटव निवासीगण ग्राम सूरजपुरा तहसील धौलपुर।
2. महावीर }
3. रामवती पुत्र बटोई पत्नी हरप्रसाद जाति जाटव निवासी गयासपुरा शाहंगज जिला आगरा।
4. राजकुमारी पुत्री बटोई पत्नी मुन्नालाल जाति जाटव निवासी नगला मोहन जिला आगरा।
5. विमला देवी पुत्री बटोई पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाटव निवासी नगला मोहन जिला आगरा।
6. पतुरा वेवा दौलतराम.....फौत } जाति जाटव निवासीगण ग्राम सूरजपुरा।
7. चरन सिंह पुत्र दौलतराम }
8. मीरादेवी पत्नी लज्जाराम } जाति जाटव निवासीगण ग्राम सूरजपुरा।
9. रामनिवास } पुत्र दौलतराम
10. श्रीपत
11. मुन्नालाल
12. भगवानदेई पत्नी जसवंत सिंह जाति जाटव निवासी शाहगंज आगरा।
13. सुशीला पत्नी दाताराम जाति जाटव निवासी ग्राम इन्छापुरा तहसील धौलपुर।
14. लालपति पुत्र दुर्जन जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील धौलपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. छोटेलाल पुत्र दुर्जन जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

...............................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी धौलपुर दि0 27.02.2001 प्र.सं. 15/2000 उनवानी बटोई बनाम छोटेलाल।

उपस्थिति:—

1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक—15.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2001 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा बाबत् स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारा काश्त एवं दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध रैस्पो0 प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात के खातेदार अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 पिता दुर्जन थे। चूंकि

रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 दुर्जन के जीवनकाल में ही पृथक होना चाहता था। अतः दुर्जन ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य कर दिया था। अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 उक्तानुसार ही आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे और वर्तमान में भी इसी प्रकार काबिज हैं। दावा दायरी से करीब 02 माह पूर्व रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 ने धमकी दी कि अपीलाण्ट/वादीगण के हिस्से की आराजी में उसका भी हिस्सा है। अतः वह भी कब्जा करेगा। अपीलाण्ट/वादीगण ने जब राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व कर्मियों से साज करके अपने हिस्से में आई आराजी पर तन्हा नाम एवं अपीलाण्ट/वादीगण के हिस्से में आई आराजी पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। जब अपीलाण्ट/वादीगण ने खाता दुरूस्त करने की कहा तो रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 साफ इंकारी हो गया। अतः वाद प्रस्तुत कर विकल्प में यह प्लीड किया कि यदि उक्त वाहमी बटवारें को माना जावें तो अपीलाण्ट/वादीगण सम्पूर्ण आराजीयात में स्वयं को 3/4 भाग के खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। अतः दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। यदि बाहमी बटवारे को स्वीकार नहीं करे तो सम्पूर्ण आराजी में अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण को वहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर, विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर, अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अपूर्ण मानने की भूल की है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य केस को भली भॉति सिद्ध करती हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादीगण के दावे को खारिज करने में त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2000 को निरस्त किया जाकर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया।अपीलाण्ट/वादी के वाद की सफलता हेतु निम्न दो बिन्दुओं का सिद्ध होना आवश्यक है :–

   I. विवादित आराजी के खातेदार वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 के पिता दुर्जन थे।

   II. विवादित आराजी में अपना हिस्सा रैस्पो0 छोटेलाल, दुर्जन से जरिये घोषणा /बंटवारा, प्राप्त कर चुका है। अतः दुर्जन की मृत्यु उपरान्त विरासतन पाने का अधिकारी नहीं है।

   अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2028 के खाता संख्या 14 में अंकित हाल खसरा नम्बर 78, 79, 91, 463 में छोटे पुत्र दुर्जन चमार सा0देह खातेदार अंकित है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर छोटे को जरिये घोषणा अथवा बाहमी विभाजन अपने पिता दुर्जन से हस्तांतरण हुए हैं, का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अपीलाण्ट/वादी के दावे की सफलता के लिए अपर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2001 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर